संख्या- 01 /2020/ 1179 /84-1-2019 -सी0पी0-16/2005

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 **लखनऊ ::** **दिनांक 01.01. 2020**

विषय: 03 उपभोक्ता फोरा भवनों एवं 14 जिला उपभोक्ता फोरा भवनों में मीडिएशन सेन्टर के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 558(1)/84-1-2019-सी0पी0-16/2005, दिनांक 24-5-2019 एवं आपके पत्र संख्या-3234/एस0सी0डी0आर0 सी0 यू0 पी0/एन0/भ0नि0/ मीडिएशन सेन्टर / के0सं017/2014, दिनांक 05-11-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 28 दिसम्बर,2018 द्वारा 03 नवीन उपभोक्ता फोरा भवनों अमेठी, कासगंज, एवं कन्नौज के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1,26,24,800/- को संलग्न सूची के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता फोरा भवन हेतु समान रूप से आवंटित करने एवं भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 फरवरी,2019, द्वारा 14 मीडिएशन सेन्टर के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1,38,75,000/- के सापेक्ष जनपद मथुरा को छोडकर शेष 13 जिला उपभोक्ता फोरमों में मीडिएशन सेन्टर के निर्माण हेतु संलग्न सूची के अनुसार धनराशि रू0 1,28,41,000/- मात्र की स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं ।

1. उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019एवं अन्य उल्लिखित सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन ही व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि से निर्माण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा ।

2. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीणअभियन्त्रण सेवा विभाग को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

3. निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। निर्माण ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का होगा । कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें ।

4. भविष्य में प्रश्नगत कार्यो हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग समय से करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष '' 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-उपभोक्ता फोरमों का सुदृढीकरण (के. 100) -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

संख्या -01/2020 1179/ (1) 2019-1-84/ -सी0पी0-16/2005

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- **प्रधान महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2- **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।**
3- **संयुक्त सचिव/ निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग,भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।**
4- **निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ।**
5- **निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन,लखनऊ।**
6- **वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
7- **राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।**
8- **निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।**
9- **वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7,वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त(लेखा) अनुभाग-1 /2**
10- **उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2**
11- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से ,
(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 01 /2020/1179 /84-1-2019 -सी0पी0-16/2005 दिनांक 01.01. 2020 का संलग्नक ।

03 उपभोक्ता फोरा भवनो कन्नौज, अमेठी, एवं कासगंज हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का विवरण।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया आंगणन	भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	कन्नौज	124.94	42.08266	भारत सरकार द्वारा तीन उपभोक्ता फोरा भवनों अमेठी,कासगंज, एवं कन्नौज हेतु एक मुश्त रू0 1,26,24,800.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है। ईम्पावर्ड कमेटी द्वारा उक्त धनराशि तीनों उपभोक्ता फोरा हेतु बराबर-बराबर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2-	कासगंज	125.00	42.08266	
3-	अमेठी	125.00	42.08268	
योग:			126.248	

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 01 /2020/1179 /84-1-2019 -सी0पी0-16/2005 दिनांक 01.01. 2020 का संलग्नक

14 जनपदों में मीडिएशन सेन्टर हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि मथुरा जनपद को छोडकर अवशेष 13 मीडिएशन सेन्टर हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण। (धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया आंगणन	भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	चित्रकूट	25.00	10.00	
2-	बदायूँ	25.00	10.00	
3-	रायबरेली	25.00	10.00	
4-	देवरिया	25.00	10.00	
5-	मुजफ्फरनगर	25.00	8.75	
6-	बलरामपुर	25.00	10.00	
7-	हाथरस	26.61	10.00	कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद हाथरस में बनने वाले जिला फोरा के मीडिएशन सेन्टर हेतु रू0 26.61 लाख का आंगणन उपलब्ध कराया गया है। ईम्पावर्ड कमेटी द्वारा उक्त जिला फोरा हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि रू0 10.00 लाख को इस शर्त के साथ कार्यदायी संस्था को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा मानक के अनुसार मीडिएशन सेन्टर हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि रू0 25.00 लाख तक ही आंगणन को सीमित रखते हुए तद्नुसार संशोधित आंगणन प्रस्तुत किया जाय।
8-	अलीगढ	25.00	10.00	
9-	फतेहपुर	9.66	9.66	भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रू0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, परन्तु ईम्पावर्ड कमेटी द्वारा आंगणन के अनुसार रू0 9.66 लाख की धनराशि ही स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
10-	बिजनौर	25.00	10.00	
11-	गोरखपुर	15.59	10.00	
12-	हरदोई	25.00	10.00	
13-	सुलतानपुर	25.00	10.00	
14-	मथुरा	----	----	जिला फोरा मथुरा हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, परन्तु जिला फोरा मथुरा का भवन पुराना होने के कारण प्रथम तल पर मीडिएशन सेन्टर का निर्माण सम्भव नहीं है। ईम्पावर्ड कमेटी द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को यह निर्देश दिये गये कि मथुरा के स्थान पर विकल्प के तौर पर किसी अन्य जिला फोरा के भवन में मीडिएशन सेन्टर बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।
योग रू0			128.41	

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।